



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श0)

(सं0 पटना 603) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 जुलाई 2021

एस0 ओ0 125, दिनांक 9 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार और सेवा कर नियमावली, 2017, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: --

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2021 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम जून, 2021 के पहले दिन से प्रवृत्त माने जाएंगे ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, ----

(i) नियम 26 के उपनियम (1) में चौथे परंतुक में, "31 मई, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों, के स्थान पर, "31 अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस नियम को मई, 2021 के 31वें दिन से लागू माना जाएगा ।

(ii) नियम 36 के उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्न परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और जून, 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।”;

(iii) नियम 59 के उपनियम (2) में, पहले परंतुक के बाद, निम्न परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, जून 2021 के पहले दिन से 28 वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)1199)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 July 2021

एस० ओ० 125, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1199)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th July 2021

S.O. 125, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of June, 2021.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(i) in sub-rule (1) of rule 26, in the fourth proviso, with effect from the 31st day of May, 2021, for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “31st day of August, 2021” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4) of rule 36, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

“Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April, May and June, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period June, 2021 or quarter ending June, 2021, as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”;

(iii) in sub-rule (2) of rule 59, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided further that a registered person may furnish such details, for the month of May, 2021, using IFF from the 1st day of June, 2021 till the 28th day of June, 2021.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1199)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 603-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>